भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3318

जिसका उत्तर शुक्रवार, 23 मार्च, 2018 को दिया जाना है

**नोटरी पब्लिक की नियुक्ति**

**3318. डा॰ विकास महात्मे :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में नोटरी पब्लिक की नियुक्ति संबंधी आवेदनों के निपटान हेतु पर्याप्त समयावधि ली जा रही है ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सदंर्भ में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए है ; और

(घ) नोटरी पब्लिक की नियुक्ति से आम जनता को किस हद तक लाभ मिलेगा और विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के भारी संख्या में बैकलॉग को कम करने में क्या सहायता मिलेगी ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) :** जी नहीं । विभिन्न राज्यों, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, में नोटरी पब्लिक के रुप में नियुक्ति के लिए आवेदनों के निपटान में कोई देरी नहीं है । 29 राज्यों और 7 संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साक्षात्कार चक्रीय प्रक्रिया में आयोजित किया जाता है ।

**(ख) और (ग) :** प्रश्न ही नहीं उठता है ।

**(घ) :** नोटरियों की नियुक्ति का न्यायालयों में लंबित मामलों से कोई संबंध नहीं है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*